राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक :– प.1(1)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांक 5 JUN 2014

–: आदेश :–

श्री पी0आर0पण्डत, आई.ए.एस., सचिव राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर जिनकी प्रथम श्रेणी की वरियता संख्या 22/2014 है तथा सेवानिवृति दिनांक 31.12.2018 है, के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 10(VIII-A) के प्रावधान के अन्तर्गत आउट ऑफ टर्न के आधार पर उनकी पात्रता से एक श्रेणी नीचे द्वितीय श्रेणी का **राजकीय आवास संख्या II/53**, एवीएस,गांधीनगर,जयपुर का नियमानुसार किराये भुगतान की शर्त पर एतद्द्वारा आवंटन किया जाता है :–

शर्तें:–

1. आवास का कब्जा **आवंटन आदेश की तिथि से** 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति उपरान्त आवास रिक्त करना होगा ।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नि/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूँकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी– कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन आदेश की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:–
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वंय/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
9. **श्री पी0आर0पण्डत,आई.ए.एस से "कॉमन सुविधा" शुल्क राशि रुपये 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा होगें।**
10. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्ते भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग ।
2. सम्भागीय आयुक्त, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, जयपुर।
4. शासन संयुक्त सचिव कार्मिक (क—1) विभाग, जयपुर
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्त(भवन), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप—3)विभाग—**कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।**
8. **सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी गांधीनगर, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करावें।**
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय,शासन सचिवालय / जयपुर शहर,जयपुर ।
10. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 / जन स्वा0अभि0वि0 / जयपुर वि0वि0निगम लि0, गांधीनगर, जयपुर।
11. संबंधित विभागाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविध में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या—6 की पालना को भी अमल में लावें।
12. निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
13. सम्बन्धित अधिकारी।
14. निजी सचिव, अतितिक्त मुख्य सचिव सचिव, साप्रवि।
15. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन(ग्रुप—5)विभाग
16. अनुभागाधिकारी, सामान्य प्रशासन(ग्रुप—3)विभाग
17. मैनेजर,सर्किट हाउस, जयपुर
18. रक्षित पत्रावली।

5/6/14

(मुन्ना लाल शर्मा)
शासन सहायक सचिव

(7)

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :– प. 19(1)साप्र/2/14 जयपुर, दिनांक : 5-6-2014

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एच श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्द्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं :-

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि
1	10/1995	श्री मनोहर लाल सारवान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मुख्य पुरारसायनवेत्ता पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर	6/1, गांधीनगर	30.6.2033
2	41/1998	श्री किरोड़ीलाल सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालय, अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट सं. 10, जयपुर महानगर, जयपुर	एच-580, गांधीनगर (एच-888, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	30.5.2028
3	1/2002	श्री रामू श्री सेडू राम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सहायक निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर	एच-888, गांधीनगर	30.6.2019
4	9/2006	श्रीमती छिगनी देवी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आयोजना विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एच-565, गांधीनगर	31.3.2019
5	35/06	श्रीमती अनुराधा शर्मा पत्नि स्व. चौथमल, च.श्रे. कर्मचारी प्रभारी अधिकारी, रा.गुरूनानक संस्थान, जयपुर	एच-511, गांधीनगर (6/1, गांधीनगर के स्थान पर परिवर्तन)	30.4.2026

शर्तें :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जावेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(iii)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
8 आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
   1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवासय के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नही किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजीव जैन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख–1) विभाग, जयपुर।
5. मुख्य पुरारसायनवेत्ता, पुरातत्व एवं संग्रहालय, विभाग, जयपुर।
6. न्यायाधीश, न्यायालय, अपर सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं महानगर मजिस्ट्रेट स.10, जयपुर महानगर, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, रा. गुरूनानक संस्थान, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
10. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की पालना को भी अमल में लावें।
11. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
13. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर—कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें।
14. सम्बन्धित कर्मचारीगण। क्रम संख्या 2 व 5 अंकित आवंटियों को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावें।
15. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
16. रक्षित पत्रावली।

(मुन्नालाल शर्मा) 5/6/14
सहायक शासन सचिव

(4)